मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 25 जुलाई, 2016 (श्रावण 3, शक सम्वत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 19 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 एवं 21) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 195 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 207 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

शून्यकाल में उल्लेख के अंतर्गत राजनीतिक भाषण न देकर केवल सूचनाओं के विषय रखने की अनुमति होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री जितू पटवारी, सदस्य को शून्यकाल में विषय रखने की अनुमति देने पर उन्होंने अखबार प्रदर्शन करके राजनैतिक भाषण देना प्रारम्भ किया. डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर आपत्ति की अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि – नियम "267- क के तहत शून्यकाल की सूचनाएं ली जाती हैं. नियमानुसार, सुबह 9 बजे के पहले दी गई सूचनाएं उसी दिन ले सकते हैं. अथवा उसके बाद अगले दिन के लिये समझी जाती हैं. उनमें से 10 ग्राह्य सूचनाएं यहां लेते हैं किन्तु कई तात्कालिक विषय माननीय सदस्य समय पर नहीं दे पाते हैं. ऐसे माननीय सदस्यों को शून्यकाल में मौखिक रूप से केवल विषय का उल्लेख करने की अनुमति दी जाती है. मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि सिर्फ विषय पर ही बात करें. उससे हटकर अन्य कोई भाषण न दें ताकि उसका कोई राजनैतिक अर्थ न निकाला जा सके. सीधा विषय पर आ करके महत्वपूर्ण तथ्य शासन के समक्ष आ जायें तो शासन आवश्यकतानुसार संज्ञान लेकर कार्यवाही कर सकता है. कृपया सदस्य इसका ध्यान रखेंगे."

श्री रामनिवास रावत, वरिष्ठ सदस्य द्वारा आसंदी की व्यवस्था से सहमति व्यक्त करते हुए माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव एवं ध्यानाकर्षण के विषयों को शून्यकाल में उठाकर, आसंदी से निवेदन करने पर उन्हें ग्राह्य करने का अनुरोध किया.

3. शून्यकाल में उल्लेख

(1) बुधनी क्षेत्र में 50 दलित परिवारों ने इच्छा मृत्यु का ज्ञापन देने विषयक

सर्वश्री रामनिवास रावत एवं जितू पटवारी, सदस्यगण ने शून्यकाल में उल्लेख किया कि – बुधनी क्षेत्र में 50 दलित परिवारों ने इच्छा मृत्यु का ज्ञापन देकर मांग की है तथा एक महिला ने उसके बच्चे के इलाज न होने के कारण आग लगाकर आत्महत्या कर ली. इस बारे में स्थगन प्रस्ताव एवं ध्यानाकर्षण दिये हैं. इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि आपने जो लिखकर दिया है उस पर विचार करेंगे.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य ने नरसिंहपुर क्षेत्र में अतिवृष्टि से फसलों एवं मकानों आदि के नष्ट होने,
(2) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य ने सीधी व सिंगरोली में नल-जल योजनाएं बंद होने तथा
(3) श्री दिनेश राय, सदस्य ने प्रदेश के प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की प्रोत्साहन राशि न मिलने,
संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.
(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने जिला श्योपुर अंतर्गत टेंटरा-घोबनी मार्ग के पुनर्नवीनीकरण, डामरीकरण व दोहरीकरण किये जाने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचना अध्यक्षीय घोषणानुसार पढ़ी हुई मानी गई.
(5) श्री मधु भगत, सदस्य ने सरेखा हाईस्कूल, विकासखण्ड परसवाड़ा में घटिया निर्माण कार्य किये जाने,
(6) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य ने 8 जुलाई, 2016 को अतिवृष्टि के कारण दसवीं की पूरक परीक्षा में छात्र नहीं पहुंच सकने से. अत: पुन: परीक्षा आयोजित कराई जाने,
(7) श्री लखन पटेल, सदस्य ने प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस परिवार के सदस्यों के नाम स्थानान्तरण न होने तथा
(8) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य ने शासकीय महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रवेश नहीं दिये जाने,
संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.

5. शून्यकाल में उल्लेख (क्रमशः)

(2) गंजबासौदा में ईसीजी, सोनोग्राफी एवं एक्सरे आदि मशीनें बंद होना

श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – गंजबासौदा में ईसीजी, सोनोग्राफी एवं एक्स-रे मशीनें आदि एक साल से बंद हैं. दानदाता डायलिसिस मशीन देने को तैयार हैं. एम.डी. डॉक्टर की वहां पदस्थापना की जाए. क्योंकि तीन लाख लोगों का क्षेत्र प्रभावित है

(3) रतलाम में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के परिवार को देय अनुग्रह राशि में वृद्धि करने विषयक

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – शनिवार 23 जुलाई, 2016 को रतलाम में अस्पताल भवन क्षतिग्रस्त होने से हृदय विदारक दुर्घटना मोती नगर के रतलाम के 25 वर्षीय श्री नरेन्द्र छोटेलाल लश्करी का असामयिक निधन हो गया है. शासन की ओर से 4 लाख रूपये की तत्काल सहायता दी गई है, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ. लेकिन उसकी बिटिया जो जन्म लेते ही अनाथ हो गई है, इसलिए न्यूनतम 10 लाख रूपये की अनुग3ह राशि, मृतक के परिवार को दी जानी चाहिए.

(4) बी.पी.एल सूची में माननीय सदस्य व उनके परिवार का नाम आने विषयक

श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – कुछ अखबारों में उनके परिवार का नाम गरीबी रेखा की सूची में आने की खबर पर शिकायत के बाद श्री राजेश जैन, कलेक्टर, गुना ने यह वक्तव्य दिया है कि सामाजिक, आर्थिक सर्वे में चूक हुई है, और इसे ठीक करने के लिए प्रमुख सचिव, नागरिक आपूर्ति विभाग को पत्र भेजा है. लेकिन कल रात्रि में एक नई खबर मिली, जिसमें जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह लिखा गया है कि यह सूची गरीबी रेखा की नहीं थी, असल में उज्ज्वला योजना है. इसमें सही बात क्या है ? और जो दोषी अधिकारी, कर्मचारी हैं, क्या उन्हें सजा दी जाएगी ? सरकार के षड्यंत्र से हमारे परिवार का नाम बदनाम हुआ है. जबकि ऐसी कभी कोई लिस्ट नहीं थी. इसमें कार्यवाही होनी चाहिए.

(5) दमोह में पेयजल समस्या के निराकरण में लापरवही करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाने विषयक

श्री मुकेश नायक, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – दमोह में पेयजल समस्या को हल करने के लिए सिंचाई और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अन्तर्गत लगभग 72 स्टॉप डेम, पर कट लगाये गये थे जिससे पानी जुझारघाट परियोजना में आ सके. अभी वर्षा होने के बाद वे चकनाचूर हो गए हैं. राज्य शासन को करोड़ों रूपये का नुकसान हुआ है और जो जुझारघाट परियोजना में जल भराव नहीं हो पाया है. इसलिए मैं शासन से मांग करता हूँ कि जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की जाए.

(6) मध्यप्रदेश के अध्यापक संवर्ग को जनवरी, 2016 से समान कार्य समान वेतन एवं शिक्षा विभाग में संविलियन करने विषयक

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – यह दुखद है मध्यप्रदेश के अध्यापक संवर्ग पढ़ाई कार्य छोड़कर आज अधिकार को मांगने के लिए विधानसभा का घेराव कर रहे हैं. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 25/01/2015 को यह घोषणा की गई कि जनवरी 2016 से सभी को समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जाएगा लेकिन आज तक अध्यापकों को यह लाभ नहीं दिया गया. शिक्षा विभाग में उनका संविलियन भी नहीं किया गया है. मैं सरकार से यह चाहता हूं कि तत्काल अध्यापकों को यह लाभ दिया जाए. श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य द्वारा भी अध्यापकों की मांग का समर्थन किया गया तथा उन्हें छठवां वेतनमान देने की मांग की गई

(7) गांवों में चरनोई की जमीन खत्म होने विषयक

श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य द्वारा भी यही विषय उठाया गया कि – गायों के चरने की जमीन खत्म हो चुकी है. इस संबंध में मैंने ध्यानाकर्षण दिया है उसे आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी.

(8) मुख्यमंत्री द्वारा जनभागीदारी से कॉलेज खोलने की घोषणा किये जाने के बावजूद जानकारी नहीं होने से मेडीकल कालेज न खोलने विषयक

श्री दिनेश राय, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – दिनांक 09.07.2016 को मेरे क्षेत्र में डेडिकल कालेज हेतु कलेक्टर को पत्र लिखा गया. जिन्दल ग्रुप को जमीन भी अलॉट की गई है. मंत्री महोदय ने भी स्वीकार किया है लेकिन मुझे लगातार यह जवाब दिया जा रहा है कि आपके यहां पी.पी.पी मोड की जो मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी, उसकी हमारे पास जानकारी नहीं है और न वहां मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा. कृपया इसकी पूर्ति करायें.

(श्री दिनेश राय, निर्दलीय सदस्य अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आये, अध्यक्ष महोदय की समझाईश पर वापस अपने आसन पर गये.)

(9) जावरा जिले में सूखा पड़ने एवं कृषि पर दवाई छिड़कने से फसले बर्बाद होने विषयक

श्री राजेन्द्र पाण्डे, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – जावरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पिपलोदा और जावरा तहसील पूर्व से सूखाग्रस्त घोषित है. पेयजल संकट भी है. जावरा तहसील के ग्राम रोला, नेतावली, रीसागूजर, धतरावदा,गोंदीशंकर,मांडवी इत्यादि में दो हजार बीघा जो कृषि भूमि में बोवनी के पश्चात् दवाई छिड़कने के कारण फसलें पूरी तरह से समाप्त हो गईं. वहां पर कृषि एवं राजस्व अधिकारियों के न पहुंचने से आक्रोश व्याप्त है.

(10) अतिथि शिक्षक/संविदा शिक्षक द्वारा हड़ताल करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करने विषयक

श्री बाला बच्चन, उप नेता प्रतिपक्ष, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने शिक्षकों की मांगों को यहां पर उठाया है, जब कभी भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार उनके ऊपर लाठी चार्ज करके पीटती है. इस पर ध्यान दिया जाए.

6. बहिर्गमन

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा अध्यापकों, अतिथि शिक्षकों एवं संविदा शिक्षकों की मांगें सरकार द्वारा न माने जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन

श्री बाला बच्चन, उप नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण ने अध्यापकों अतिथि शिक्षकों एवं संविदा शिक्षकों की मांगें सरकार द्वारा न माने जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश विधान मण्डल यात्रा भत्ता नियम, 1957 में संशोधन संबंधी अधिसूचना क्रमांक 1524-एफ (3) 20-10-दो-अड़तालीस, दिनांक 05 जुलाई, 2016,

(ख) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में संशोधन संबंधी अधिसूचना क्रमांक 1528-फा (2) 13-2016-दो-अड़तालीस, दिनांक 5 जुलाई, 2016, तथा

(ग) मध्यप्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में संशोधन संबंधी अधिसूचना क्रमांक 1526-फा (2) 14-2016-दो-अड़तालीस, दिनांक 5 जुलाई, 2016,

पटल पर रखीं.

(2) श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का नवम वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15, तथा

(ख) बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15,

पटल पर रखे.

(3) श्री अंतर सिंह आर्य, पर्यावरण मंत्री ने –

(क) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15, तथा

(ख) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16,

पटल पर रखे.

(4) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 पटल पर रखा.

(5) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने -

(क) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 47 वां प्रगति प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 तथा

(ख) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15

पटल पर रखे.

(6) श्रीमती ललिता यादव, राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण ने मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 पटल पर रखा.

8. ध्यान आकर्षण

(1) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य ने प्रदेश में खसरा खतौनी वितरण व्यवस्था विसंगतिपूर्ण होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री सुखेन्द्र सिंह एवं सुन्दर लाल तिवारी, सदस्यगण ने प्रदेश के महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश से शासकीय कॉलेजों में प्रवेश न मिलने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(2) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(3) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(4) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(5) श्री प्रह्लाद भारती (जिला-शिवपुरी)
(6) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(7) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(8) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर-मालवा)
(9) श्री मुकेश पण्ड्या (जिला-उज्जैन)
(10) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया
(11) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(12) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(13) श्री रजनीश सिंह (जिला-सिवनी)
(14) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
(15) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(16) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(17) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मन्दसौर)
(18) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(19) श्री मथुरालाल (जिला-रतलाम)
(20) श्री संजय उईके (जिला-बालाघाट)
(21) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(22) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
(23) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मन्दसौर)
(24) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(25) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(26) श्रीमती उमादेवी खटीक (जिला-दमोह)
(27) श्री दिव्यराज सिंह (जिला-रीवा)
(28) श्री महेन्द्र सिंह (जिला-रतलाम)

(29) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(30) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(31) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(32) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(33) श्री कालु सिंह ठाकुर, (जिला-धार)
(34) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(35) श्री गिरीश भंडारी (जिला-राजगढ़)
(36) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(37) श्री इंदर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(38) कुँवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(39) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(40) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(41) श्री संदीप जायसवाल (जिला-कटनी)

10. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय सदस्यों की डिजिटल सिग्नेचर बनाई जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि- मध्यप्रदेश विधान सभा के मानसून सत्र में 28 माननीय सदस्यों से 422 प्रश्न ऑन लाईन प्राप्त हुए हैं, जो अच्छी शुरुआत है. अब तक इस प्रक्रिया से प्रश्न प्रेषण हेतु 63 माननीय सदस्यों द्वारा प्रक्रिया की जानकारी लेकर डिजिटल सिग्नेचर बनवाये गये हैं. इस सत्र में शेष माननीय सदस्यों के लिए उक्त ऑन लाईन प्रक्रिया की जानकारी देने तथा डिजिटल सिग्नेचर बनाये जाने की व्यवस्था विधान सभा भवन स्थित एनआईसी प्रकोष्ठ, कक्ष क्रमांक-318 में की गई है, जिसकी सूचना पत्रक के माध्यम से भी माननीय सदस्यों को दी गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधानुसार उक्त प्रकोष्ठ में अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाने का कष्ट करें.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) पुर:स्थापित किया.

(2) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता के मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 18 सन् 2016) को डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्यमंत्री द्वारा आसंदी से निवेदन किया गया कि मंत्री महोदय पारिवारिक कारणों से आज भोपाल में नहीं हैं. इसे कल या आगामी तिथि में लेने का अनुरोध किया. अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति व्यक्त की गई.

(3) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 15 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री शैलेन्द्र जैन

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए

(2) श्री रामनिवास रावत
(3) श्री बाला बच्चन, उप नेता प्रतिपक्ष

श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 15 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 25 जुलाई, 2016 को सम्पन्न हुई. जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक एवं अन्य कार्य	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक,2016 (क्रमांक 15 सन् 2016)	30 मिनिट
2.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक,2016 (क्रमांक 16 सन् 2016)	30 मिनिट
3.	मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक,2016 (क्रमांक 18 सन् 2016)	30 मिनिट
4.	पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (क्रमांक 21 सन् 2016)	1 घण्टा
5.	चम्बल-ग्वालियर संभाग में नदियों से मिट्टी कटाव के कारण कृषि भूमि का रकबा घटने तथा गाँवों के अपने मूल स्थान से विस्थापित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की नियम -139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की सूचना.	1 घण्टा 30 मिनिट
6.	प्रदेश में संचालित अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा मनमानी तरीके से फीस व अन्य शुल्क वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. गोविंद सिंह,सदस्य की नियम 142 -क के अधीन अल्पकालीन विषय की सूचना.	45 मिनिट
7.	मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का सत्ताईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009, अठ्ठईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010, उन्नतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011, तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 तथा इकतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 के साथ ही उपरोक्त सभी वार्षिक प्रतिवेदनों के व्याख्यात्मक ज्ञापनों पर चर्चा	2 घन्टे
8.	एम.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का 43 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2011-2012 पर चर्चा	2 घन्टे
9.	दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का 49 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 पर चर्चा	2 घन्टे
10	आयुक्त नि:शक्तजन, म.प्र.का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 पर चर्चा	2 घन्टे

श्री शरद जैन, राज्यमंत्री, संसदीय कार्य ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. वर्ष 2016-2017 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 74 तथा 75 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर चौदह हजार दो सौ सतानवे करोड़, इक्यासी लाख, चालीस हजार, आठ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

(अपरान्ह 1.29 से 3.08 बजे तक अंतराल)
उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

14. औचित्य प्रश्न एवं व्यवस्था
अनुपूरक अनुमान एवं विनियोग विधेयक पर एक साथ चर्चा विषयक

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत नियम 156 (1) के तहत अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करके नियम 156 (2) के तहत उस पर चर्चा की जाती है. कार्यसूची में अनुपूरक अनुमान पर ही चर्चा करने का उल्लेख है, विनियोग विधेयक का कोई उल्लेख आसंदी से नहीं किया गया है. क्या ये दोनों एक साथ चर्चाएं की जा रही है? विनियोग विधेयक, नियम 158 (1) के तहत प्रस्तुत किया जाता है और 159 (1) के तहत विनियोग विधेयक पर चर्चा की जाती है. मैं मानता हूँ कि विशेष परिस्थितियों में, आसंदी नियम को शिथिल करके दोनों की एक साथ चर्चा करा सकती है. लेकिन अभी कोई ऐसी विशेष परिस्थिति नहीं है. कृपया करके अनुपूरक अनुमान और विनियोग विधेयक पर दो-दो घंटे चर्चा कराई जाए. इससे माननीय सदस्यों को विचार हेतु पर्याप्त मौका मिल जाएगा.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – दोनों विषयों पर चर्चा का अवसर मिलता है और समय भी बढ़ा हुआ मिलता है ऐसी कोई सीमा नहीं लगा रखी है. इस बार चूंकि शुरु किया जा चुका है, अगली बार से देख लेंगे. इस बार चलने दीजिए, अतिरिक्त समय दे देंगे.

15. वर्ष 2016-2017 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(4) श्री कैलाश जाटव
(5) श्री रामनिवास रावत

16. अध्यक्षीय घोषणा

अनुपूरक मांगों पर चर्चा पश्चात् विनियोग विधेयक का पारण होना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि - सदन का समय 5:30 बजे तक होने से मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के अनुसार अनुपूरक मांगों पर चर्चा उपरान्त विनियोग विधेयक अपरान्ह 4:30 बजे पुर:स्थापित किया जाना है। चर्चा के प्रारंभ में माननीय सदस्यों के अनुरोध के अनुसार आसंदी से चर्चा हेतु नियत समय में वृद्धि की गई है। अत: तद्नुसार अनुपूरक मांगों पर चर्चा उपरान्त विनियोग विधेयक पुर:स्थापित एवं पारित किया जाएगा। मैं समझता हूं, सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

17. वर्ष 2016-2017 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(6) श्री दिलीप सिंह सेखावत
(7) श्री मुकेश नायक
(8) श्री सुन्दरलाल तिवारी

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 7 में अंकित कार्यपूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए, मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

(9) श्री जयवर्द्धन सिंह
(10) कुंवर सौरभ सिंह
(11) श्री कमलेश्वर पटेल
(12) श्री सुखेन्द्र सिंह
(13) श्री शैलेन्द्र पटेल

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(14) श्री दिनेश राय
(15) श्रीमती शीला त्यागी
(16) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(17) श्रीमती झूमा सोलंकी
(18) श्री हरदीप सिंह डंग
(19) श्री जितू पटवारी
(20) डॉ. रामकिशोर दोगने
(21) श्री बाला बच्चन, उप नेता प्रतिपक्ष

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

18. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2016 (क्रमांक 17 सन् 2016) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2016 (क्रमांक 17 सन् 2016) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 7.21 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई, 2016 (श्रावण 4, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 25 जुलाई, 2016